

सं. 2/5/2020-पब्लिक
भारत सरकार/ गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक, 20 जुलाई, 2020

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव और सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक।

विषय: 15 अगस्त, 2020 को स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाना।

महोदय/महोदया,

प्रत्येक वर्ष, स्वतंत्रता दिवस, हर्षोल्लास, जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी, स्वतंत्रता दिवस को समुचित ढंग से मनाया जाएगा। हालांकि, कोविड-19 महामारी के फैलाव के मद्देनजर, स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विभिन्न कार्यक्रमों या गतिविधियों का आयोजन करते समय, कुछ बचाव के उपायों का पालन करना आवश्यक है जैसे सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, समुचित सेनेटाइजेशन व्यवस्था, बड़ी सभाओं से बचना, कमजोर (vulnerable) व्यक्तियों की रक्षा करना तथा गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी COVID-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करना आदि। इसलिए, सभी कार्यक्रमों को इस तरह से आयोजित किया जाना चाहिए कि बड़ी सभाओं से बचा जा सके और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके इस राष्ट्रीय पर्व को भव्य तरह से मनाया जाए। आयोजित कार्यक्रम वेब-कास्ट द्वारा उन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, जो आयोजित कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते हैं।

2. उपरोक्त बाध्यताओं और एहतियाती कदमों को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में निम्नलिखित आयोजन शामिल होंगे: -

- (i) लाल किले पर आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों और दिल्ली पुलिस द्वारा प्रधान मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना, राष्ट्रगान की धुन बजाने के साथ-साथ राष्ट्रीय ध्वज का फहराया जाना, 21 तोपों की सलामी दिया जाना, प्रधान मंत्री का भाषण, प्रधान मंत्री के भाषण के तुरंत बाद राष्ट्रगान का गायन, और अंत में तीन रंग के गुब्बारों को छोड़ा जाना।
- (ii) राष्ट्रपति भवन में "एट होम" स्वागत समारोह।

3. राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग स्तरों पर स्वतंत्रता दिवस के समारोह के आयोजन के लिए दिशा-निर्देशों को अगले पैरा में शामिल किया गया है:

4. इस दिन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं: -

राज्य स्तर:

- (i) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की राजधानियों में प्रातः काल (9.00 बजे के पश्चात) समारोह का आयोजन जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का फहराया जाना; राष्ट्रीय गान का गायन; अर्ध सैन्य बलों, होमगार्डों, एनसीसी, स्काउटों आदि सहित पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ आनर दिया जाना; मुख्यमंत्री का भाषण और राष्ट्रीय गान का गायन।
- (ii) कोविड -19 महामारी के मददेनजर, समारोह में बड़ी सभाओं से बचा जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि सामाजिक दूरी मानदंड, मास्क पहनना आदि का पालन किया जाए।
- (iii) कोविड -19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में उनकी महान सेवा की मान्यता के रूप में डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, स्वच्छताकर्मियों आदि जैसे कोविड -19 योद्धाओं को समारोह में आमंत्रित किया जाए। कोविड -19 संक्रमण से ठीक हुए कुछ व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

जिला स्तर:

- (i) जिला स्तर पर प्रातः काल (9.00 बजे के पश्चात) उक्त समारोह मनाया जा सकता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मंत्री/ आयुक्त/ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का फहराया जाना, राष्ट्रीय गान की धुन बजाना; राज्य पुलिस कर्मियों, होम गार्डों/ एनसीसी, स्काउटों द्वारा परेड; मंत्री/ आयुक्त/ जिला मजिस्ट्रेट का भाषण जिसमें 15 अगस्त के महत्व को स्पष्ट करना तथा देश की एकता और अखंडता के प्रति कार्य करने के लिए जनसमुदाय को प्रेरित करना और राष्ट्रीय गान का गायन आदि।

- (ii) कोविड -19 महामारी के मददेनजर, समारोह में बड़ी सभाओं से बचा जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि सामाजिक दूरी मानदंड, मास्क पहनना आदि का पालन किया जाए।
- (iii) कोविड -19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में उनकी महान सेवा की मान्यता के रूप में डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, स्वच्छताकर्मियों आदि जैसे कोविड -19 योद्धाओं को समारोह में आमंत्रित किया जाए। कोविड -19 संक्रमण से ठीक हुए कुछ व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

सब डिवीजन स्तर/ब्लाक स्तर:

- (i) मंत्री/ सब डिवीजन मजिस्ट्रेट द्वारा (प्रातः 9.00 बजे के पश्चात) राष्ट्रीय ध्वज का फहराया जाना; राष्ट्रीय गान की धुन बजाना; गणमान्य व्यक्ति द्वारा भाषण जिसमें 15 अगस्त की महत्ता को स्पष्ट किया जाए; देश की एकता और अखंडता के प्रति कार्य करने के लिए जनसमुदाय को प्रेरित करना, राष्ट्रीय ध्वज का फहराया जाना और राष्ट्रीय गान का गायन आदि।
- (ii) कोविड -19 महामारी के मददेनजर, समारोह में बड़ी सभाओं से बचा जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि सामाजिक दूरी मानदंड, मास्क पहनना आदि का पालन किया जाए।
- (iii) कोविड -19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में उनकी महान सेवा की मान्यता के रूप में डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, स्वच्छताकर्मियों आदि जैसे कोविड -19 योद्धाओं को समारोह में आमंत्रित किया जाए। कोविड -19 संक्रमण से ठीक हुए कुछ व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

पंचायत मुख्यालय/ बड़े ग्राम स्तर:

- (i) सरपंच/ गांव के मुखिया द्वारा (प्रातः 9.00 बजे के पश्चात) राष्ट्रीय ध्वज का फहराया जाना; राष्ट्रीय गान का गायन; सरपंच/गांव के मुखिया का भाषण जिसमें 15 अगस्त की महत्ता को स्पष्ट किया जाए तथा देश की एकता और अखंडता के प्रति कार्य करने के लिए जनसमुदाय को प्रेरित किया जाय; और राष्ट्रीय गान का गायन आदि।

- (ii) कोविड -19 महामारी के मद्देनजर, समारोह में बड़ी सभाओं से बचा जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि सामाजिक दूरी मानदंड, मास्क पहनना आदि का पालन किया जाए।
- (iii) कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में उनकी महान सेवा की मान्यता के रूप में डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, स्वच्छताकर्मियों आदि जैसे कोविड -19 योद्धाओं को समारोह में आमंत्रित किया जाए। कोविड -19 संक्रमण से ठीक हुए कुछ व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

5. सभी राज्यों की राजधानियों / जिला / ब्लॉक स्तरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

6. स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल/ उपराज्यपाल सम्बंधित द्वारा राजभवन/ राज निवास में "एट होम" स्वागत समारोह आयोजित करने के संबंध में, राज्यपाल/ उपराज्यपाल विवेकानुसार निर्णय ले सकते हैं। हालांकि, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, कुछ बचाव के उपायों का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, समुचित सेनेटाइजेशन व्यवस्था, बड़ी सभाओं से बचना, कमजोर (vulnerable) समूहों की रक्षा करना, और अन्य उपाय आदि जो गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित और अनुशंसित हैं। कोविड -19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में उनकी महान सेवा की मान्यता के रूप में डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, स्वच्छताकर्मियों आदि जैसे कोविड -19 योद्धाओं को समारोह में आमंत्रित किया जाए। कोविड -19 संक्रमण से ठीक हुए कुछ व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

7. स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर पुलिस/ सैन्य बैंड के प्रदर्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है; और रिकॉर्ड किए गए संस्करणों को बड़ी स्क्रीन/ डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान और सोशल मीडिया पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

8. दिन के अन्य कार्यक्रमों में कई गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं; जैसे वृक्षारोपण; डिजिटल प्लेटफॉर्मस पर इंटर-स्कूल/ इंटर कॉलेज बहस; ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता/ देशभक्ति निबंध लेखन और कविता प्रतियोगिताएँ; महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ, देशभक्ति के गीत गाना/ सोशल मीडिया पर चयनित बालक/ बालिकाओं द्वारा देशभक्ति के विषयों पर सम्बोधन/ देशभक्ति के गीत गाना/ सरकारी भवनों/ राज्य

भवनों आदि पर प्रकाश व्यवस्था; विषयगत वेबिनार; एनएसएस और एनवाईकेएस द्वारा देशभक्ति तथा सम्बंधित विषयों पर ऑनलाइन अभियान; और राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य गतिविधि। स्वतंत्रता दिवस मनाने के अन्य नवीन तरीकों पर भी विचार किया जा सकता है जैसे डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से देशभक्ति या राष्ट्रीय एकीकरण सम्बन्धित संदेशों/ गीतों का प्रचार, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों की प्रकाश व्यवस्था/ साउंड शो, छतों/ बालकॉनी में लोगों द्वारा राष्ट्रीय झंडे लहराना, आदि।

9. यह उचित होगा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कार्यक्रमों द्वारा और सोशल मीडिया पर विभिन्न गतिविधियों/ संदेशों के माध्यम से "आत्मनिर्भर भारत" के विषय को उपयुक्त रूप से जनसमुदाय के बीच प्रचारित और प्रसारित किया जाए।

भवदीय,
अनुज शर्मा
20.7.2020
[अनुज शर्मा]

संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23092436

सूचनार्थ प्रेषित प्रतिलिपि:

1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव/सभी संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल/उपराज्यपाल
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
3. राष्ट्रपति सचिवालय
4. उपराष्ट्रपति सचिवालय
5. प्रधानमंत्री कार्यालय
6. रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय
7. रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय
8. मंत्रिमंडल सचिवालय
9. राज्य सभा सचिवालय
10. लोक सभा सचिवालय
11. नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
12. भारत का निर्वाचन आयोग
13. संघ लोक सेवा आयोग
14. भारत के नियंत्रक महालेखाकार का कार्यालय
15. केन्द्रीय सतर्कता आयोग
16. विश्व विद्यालय अनुदान आयोग
17. राष्ट्रीय अनुसूचितजाति आयोग
18. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
19. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
20. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग
21. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
22. राष्ट्रीय महिला आयोग
23. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
24. प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली
25. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली
26. दिल्ली/नई दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय के सभी संवद्ध और अधीनस्थ कार्यालय
27. प्रशासन-III अनुभाग- गृह मंत्रालय

दीपक कुमार
20/7/2020
(दीपक कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23092421